



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७७



लेकम गाउँपालिका
दाचुला



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौँ, नेपाल



महालेखापरीक्षणको कार्यालय
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली र तुम्हामेरम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिवेदनालय
 २०१६

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या: २०७६।७७

च.नं. ४१८

मिति: २०७७/०३/२६

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष ज्यू
 लेकम गाउँपालिका,
 गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, दाचुला।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रयोजनको लागि अनुरोध छ।

.....
 २०७६।३।२६
 (चन्द्रकान्त भण्डारी)
 नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्यिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।


स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्यिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व वाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकको, श्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार तथा बेरुजू उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारबाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको वावजुद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

२०७७ आषाढ २४ गते ।



(ट्रम्मण श्रेष्ठ, दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षणको कार्यालय
Office of the Auditor General



प्रदेश नं.५, कर्णाली र चुसाकोटम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिवेदनालय
 २०१६

पत्र संख्या: २०७६।०७७
 च.नं. ५१४

Phone : 4258174
 4266034
 4255707
 A.G.Fax : 977-1-4268309
 Fax : 977-1-4262798
 Post Box : 13328
 बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 Babar Mahal, Kathmandu, Nepal
 मिति: २०७७।३।२६

श्री अध्यक्ष ज्यू
 लेकम गाउँपालिका,
 गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, दार्चुला ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय

हामीले लेकम गाउँपालिका, दार्चुलाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून र परम्परा बमोजिम सारभूत रूपमा सहि तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ५३ लाख १९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. २० लाख ३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.५५ लाख ९० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २३ लाख ३४ हजार, पेशकी बाँकी रु.१ करोड ५३ लाख ९२ हजार रहेको छ ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७६।६।७ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजातका आधारमा फछ्यौट भएका दफाहरु हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना १६ यसैसाथ संलग्न छ ।
४. आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचार संहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गलितका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

~



महालेखापरीक्षणको कार्यालय
Office of the Auditor General



प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्वाचनालय
२०१६

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ति समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनि उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्य स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ति पत्ता लगाउने सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तिलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

.....
१५३३८८
१०६६।५।१८६
(चन्द्रकान्त भण्डारी)
नायव महालेखापरीक्षक

लेकम गाँउकार्यपालिका, दार्चुला

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष : २०७५/०७६

परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने लेकम गाँउपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु हो । लेकम गाँउपालिका अन्तर्गत ६ वडा रहेकामा ३४ सभा सदस्य रहेका छन् । यस गाँउपालिकाको कुल क्षेत्रफल ८३.९८ व.कि.मी रहेकोमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार गाँउपालिकामा जम्मा १४८३८ जना जनसंख्या छ । जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित छ ।

स्थानीय संचितकोष: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोजिम लेकम गाँउपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा साहायता र स्थानीय सरकार संचालनमा भएका व्ययहरूको आयव्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न वमोजिम रहेको छ ।

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं. | व्ययतर्फ | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----|--------|---------------------------|--------------|-----|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | | १ | चालु खर्च | २१६३४९१७९१०० | |
| | क) नगद | | | २ | पूँजीगत खर्च | ९१३९२९२३१०० | |
| | ख) बैंक | ४९८९१२२५१८६ | | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | | |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | | | क) ऋण भुक्तानी | | |
| | क) आन्तरिक राजस्व | ८५४२८३१०० | | | ख) व्याज भुक्तानी | | |
| | ख) राजस्व बांडफाँड | | | | ग) अन्य भुक्तानी | | |
| | ग) अन्य आय | | | ४ | लगानी | | |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | | | | ऋण लगानी | | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | १०२७०००००१०० | | | शेयर लगानी | | |
| | ख) सर्वानुदान | १९२०९९९३०१०० | | | अन्य लगानी | | |
| | ग) समपूरक अनुदान | | | ५ | धरौटी फिर्ता | ०।०० | |
| | घ) राजश्व बांडफाड | ३९०३५०५५१०९ | | ६ | कोष खर्च | | |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | | ७ | मौज्दात | | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ६८१३०००१०० | | | क) नगद मौज्दात | १।७२।०० | |
| | ख) सर्वानुदान | ८७००००१०० | | | ख) बैंक मौज्दात | ९।७५५२७२।४८ | |
| | ग) समपूरक अनुदान | | | | | | |
| | घ) राजश्व बांडफाड | ४२२६३७।४८ | | | | | |
| ५ | धरौटी आय | ६५०७४१५१०० | | | | | |
| ६ | लगानीको साँचा फिर्ता | | | | | | |
| ७ | अन्य विविध आय | ३०५०००१०० | | | | | |
| | जम्मा | ३९९४९८५४६।४८ | | | जम्मा | ३९९४९८५४६।४८ | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम |
|----|---|-----|
| १. | आय-व्यय अनुमान-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आय-व्ययको बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेश गर्ने र सभाले असार मसान्त भित्र पारित गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागी गाउँसभाबाट रु.३४ करोड ४ लाख २३ हजारको आय-व्ययको बजेट पारित | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|---------|---|------------------------|------------|---|------------------|-----------|--------------|--|----------------|--|
| | भएकोमा गाउँउपालिकाबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत आय-व्यय विवरणबाट रु. ३९ करोड १४ लाख ९९ हजारको को आय-व्ययको आर्थिक कारोबार भएको देखिएकोले सभाबाट पारित बजेट भन्दा रु. ५ करोड १० लाख ७६ हजार वटी देखियो । गाउँसभाबाट पारित बजेट भन्दा वटीको आय-व्ययको कारोबार हुँदा बजेट अनुमान यथार्थ परक हुन नसकेको र गाउँसभाबाट पारित बजेटको सिमा नाघेको छ । आर्थिक आय-व्ययको बजेट अनुमान तयार गर्दा यथार्थ परक हुनु पर्ने र गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट भन्दा वटी भएको रकमको गाउँसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| २. | बजेट निकासा- आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३२ मा खर्चको अखित्यारी पठाउनु पर्ने र रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको खर्चको अखित्यारी नभएको, रकम निकासा आदेश प्राप्त नभएको, सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा खर्च भिडान भएको आर्थिक विवरण नभएको र आन्तरिक लेखापरिक्षण समेत भएको देखिएन । खर्च गर्ने अखित्यारी निकासा आदेश निकासा खर्च भिडान तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण नभएबाट निकासा खर्च एकीन गर्ने कार्य एवं खर्च गर्ने आधार स्पष्ट हुँदैन । गाउँउपालिकालाई रकम प्राप्त हुँदा खर्च गर्ने अखित्यारी सहित निकासा प्राप्त हुनुपर्ने र निकासा गर्ने सम्बन्धित निकायले निकासा खर्च भिडान भएको आर्थिक विवरण सहित आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र दुरुस्त वनाउनु पर्दछ । विवरण निम्न अनुसार छ । | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>अनुदान शिर्षक</th><th>रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>वित्तियसमानिकरण अनुदान</td><td>६८१३०००.००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>क्षेत्रीय शिक्षा</td><td>८७००००.००</td></tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td><td>७६८३०००</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | अनुदान शिर्षक | रकम रु. | १ | वित्तियसमानिकरण अनुदान | ६८१३०००.०० | २ | क्षेत्रीय शिक्षा | ८७००००.०० | जम्मा | | ७६८३००० | |
| सि.नं. | अनुदान शिर्षक | रकम रु. | | | | | | | | | | | | |
| १ | वित्तियसमानिकरण अनुदान | ६८१३०००.०० | | | | | | | | | | | | |
| २ | क्षेत्रीय शिक्षा | ८७००००.०० | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ७६८३००० | | | | | | | | | | | | |
| ३. | बैंक हिसाव मिलान- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ (२) मा स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएबमोजिमको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत म.ले.प. फाराम बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार गरेको देखिएन । बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार नगरेबाट श्रेस्ताबाट देखिएको मौज्दात रकमको वास्तविक बैंक मौज्दात रकम भिडान हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा श्रेस्ताबाट रु. ९९७५५२७२४८ देखिएकोमा बैंक स्टेटमेन्टबाट बाषान्तमा रु. ९३८२४००७३४ देखिएबाट रु. २०६८७३४८८ फरक परेको रकमको एकीन गरी हिसाव मिलान हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | आय व्यय विवरण सार्वजनिक नगरेको :- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (४) मा कार्यालयले आफ्नो आय व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले मासिक आय र व्ययको यथार्थ एकीन गर्ने कार्यमा असर पनुको साथै पारदर्शिता नहुने देखिन्छ । आय र व्ययको मासिक विवरण तयार गरी प्रत्येक महिनाको सात गते भित्र सार्वजनिक हुनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| ५. | कार्ययोजना नभएको- स्थानीय तहमा बजेट तर्जमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धित निर्देशिका २०७४ को बुदा २.९ मा गाउँउसभा बाट स्वीकृत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी समयसिमा सहितको कार्य योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँ सभाबाट स्वीकृत बजेट रु. ३४०४२३०००- को समय सिमा सहितको कार्ययोजना बनाएको देखिएन । स्वीकृत बजेटको समय सिमा सहितको कार्ययोजना नवनाउदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुन सक्छ । स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समय सिमा सहितको कार्ययोजना बनाई बजेट कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | विवरण सार्वजनिक नगरेको :- स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धित निर्देशिका, २०७४ को बुदा २.१० मा स्थानीय तहबाट गरिने निर्माण कार्यस्थलमा सो काम संग सम्बन्धित विवरणहरु आयोजनाको नाम, लागत, कार्य शुरु भएको मिति, कार्य सम्पन्न हुने मिति, ठेक्का अंक, ठेक्का लिनेका नाम तथा ठेगाना, काम सम्पन्न भएपछि हुने अपेक्षित परिमाण वा उपलब्धि देखिने गरी काम सम्पन्न नभए सम्म सर्वसाधारणले देखे सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीयले गरेका निर्माण कार्यहरुको योजनागत अभिलेख कार्यालयमा नरहेको र निर्माण कार्यास्थलमा योजनाको विवरण रहेको खर्च एवं अन्य कुनै विवरणबाट देखिएन । निर्माण कार्यस्थलमा विवरण नरहदा योजना एवं निर्माण कार्यको सर्वसाधारणलाई यथार्थ जानकारी नहुने देखिन्छ । प्रत्येक निर्माण कार्यको निर्माण स्थलमा सर्वसाधारणले देख्न सक्ने गरी योजनाको विवरण राखिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम |
|-----|---|-----|
| ७. | <p>योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले यस्तो योजना बनाएको देखिएन । योजना नवन्दा योजनावद्व विकास निर्माणका कार्यहरु कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ । तोकिएका योजनाहरु बनाई योजनावद्व कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।</p> | |
| ८. | <p>चौमासिक खर्च पूँजिगत खर्च : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्विकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पूँजिगत तर्फ कुल खर्च रु.९करोड ६ लाख ५३ हजार रहेकोमा प्रथम चौमासिकमा १० प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा १७ प्रतिशत र तेश्रो चौमासिकमा ७३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरीनै आषाढ महिनामा मात्रै ४६ प्रतिशत खर्च भएकोले आषाढमा आएर खर्चको चाप वढेको कारण सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन ।</p> | |
| ९. | <p>आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापुर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत गराएको पाईएन ।</p> | |
| १०. | <p>राजश्व अभिलेख : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । यस गाउँपालिकाले राजस्व आम्दानीको निर्णय देखि असुली तथा दाखिला सम्मका अभिलेख व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको छैन । राजश्व आम्दानीको दैनिक अभिलेख खाता नराखेको, बैंक दाखिला अभिलेख खाता नराखेको, समयमा बैंक दाखिला नभएको आदि कारणबाट गाउँपालिकाको बास्तविक राजस्व असुली र दाखिला एकिन हुन सकेन । यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्गन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ । कार्यालयले दैनिक आम्दानी खाता, आम्दानी बैंक दाखिला खाता नराखेको, ढिला दाखिला गरेको आदि कारणहरूले मालपोत तथा अन्य सिफारीशबापतको राजश्व बडा अध्यक्ष तथा बडा सचिवबाट जे जति दाखिला भयो त्यसलाई आधार लिई हिसाब यकिन नगरी गाउँपालिकाले आम्दानी जनाएको रु.८५४२८३००याथार्थपरक देखिएन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाई बास्तविक राजश्व रकम यकिन गर्नु पर्दछ ।</p> | |
| ११. | <p>सम्पत्ति हस्तान्तरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७,९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा गाउँपालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाइल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरु जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| १२. | <p>अभिलेख अद्यावधिक: स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पत्तीको अभिलेख अद्यावधिक गरी रेखदेख, मर्मत सम्भार र अन्य प्रवन्ध गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कार्यालयले गाउँ सभावाट स्वीकृत भएका योजना तथा कार्यक्रम, संशोधित कार्यक्रम, संचालित र सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रम र अधुरा योजनाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य गरेको देखिन आएन । खर्च भुक्तानीको गोश्वरा भौचर र सो संग संलग्न कागजातको आधारमा मात्र भुक्तानी दिने गरेको छ । जसले गर्दा कुन कार्यक्रम वा योजना गाउँ सभावाट स्वीकृत वा संशोधन भएको हो वा होइन खुलाउन कठिनाई हुन जानुको साथै कुन काम कस्तो गुणस्तर र परिमाणमा सम्पन्न भयो वा हुन नसकी अधुरो रहन गएको छ, स्वीकृत मध्ये कुन — कुन कार्य भए र कुन -कुन</p> | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम |
|-----|--|-----|
| | कार्य हुन सकेन र गाँउसभावाट स्वीकृत नभएका कार्यकम संचालन गरिए वा नगरिएको सम्बन्धमा यकिन हुन सकेन । यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी यथार्थता यकिन गरिनु पर्दछ । | |
| १३. | शीर्षकगत आर्थिक विवरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (५) मा स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषको शीर्षकगत विवरण तयार गरेको देखिएन । शीर्षकगत विवरण तयार नगरेबाट शीर्षकगत आय व्ययको यथार्थता एकीन हुन नसक्ने देखियो । स्थानीय सञ्चित कोषको आय व्यय हिसावको यथार्थताको लागी शीर्षकगत देखिने गरी अभिलेख राखी चौमासिक विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्दछ । | |
| १४. | आन्तरिक आय: गाँउपालिकाले पेश गरेको आय व्यय विवरणमा आन्तरिक राजस्वमा जम्मा रु.८५४२८३०० आम्दानी भएको देखाएको छ । जुन गत वर्ष भन्दा ३५ प्रतिशतले घटी हो गाँउपालिकाले आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरेको छैन यसरी आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पहिचान नगर्नुका साथै भएका स्रोतहरूबाट समेत राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा गाँउपालिको कम्जोरी देखिन्छ । गाँउपालिकाको समयमै स्रोत पहिचान गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । | |
| १५. | सेवा करार - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ मा कार्यालयले रु १ लाख रुपैया भन्दा बढी शुल्क लाग्ने सुरक्षा, चिह्नीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धारा सञ्चालन र रेखदेख लगायतका सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक पर्ने सेवा करार लिनुपर्दा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रस्ताव माग गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । सो बिपरित गाँउपालिकाले १३ जना कर्मचारी सोभै बार्ताद्वारा नियुक्ती गरी रु.३८३४९००१०० खर्च लेखेको पाइयो । नियममा व्यवस्था भए अनुरूपको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा सेवा करार लिनुपर्दछ । | |
| १६. | तलबी प्रतिवेदन : स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट पारीत गराई तलब खर्च लेखनुपर्नेमा कार्यालयले कर्मचारीको तलब रु.२ करोड २१ लाख १० हजार खर्च लेखेकोमा तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको छैन । तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेखनुपर्दछ । | |
| १७. | जिन्सी सम्पत्ति: आर्थिक कार्यविधी नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ६ नियम ४६ देखि ५६ सम्म सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, त्यसको लगत र संरक्षण, सम्पत्तिको निरीक्षण लगायत बिभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यसैगरी स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ मा स्थानिय तहको सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले लेखापरीक्षण अवधीसम्म खर्च भएर जाने र नजाने मालवस्तु तथा सम्पत्तिको जिन्सी निरीक्षण गरेको छैन । साथै जिन्सी निरीक्षणको लागी पहल समेत गरेको देखिन आएन । त्यसैगरी यो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका माल वस्तु तथा सम्पत्तीहरु जिन्सी खातामा आम्दानी बाधेको भएपनि पूँजीगत प्रकृतिका खप्ने मालसामान र खर्च भएर जाने मालसामान लाई फरक-फरक संकेत नं. अनसुर फरक फरक जिन्सी खाता खडा गर्नु पर्नेमा सो नगरी एउटै खातामा तथा जिन्सी संकेत नं. समेत उल्लेख नगरी अभिलेख राखेको पाइयो सो सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खर्च भएर जाने र नजाने मालवस्तु अभिलेख तयार गरी जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ । | |
| १८. | विद्युतिय लेखा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोबार को लेखा राख्नु पर्ने तथा महालेख नियन्त्रकको कार्यलयले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराई गाँउपालिकाले Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाँउपालिकाले सफूटवयरको प्रयोग नगरी स्थानुअल प्रणालीमा लेखा राखेको छ । यस तर्फ तत्काल सुधार गर्नु पर्दछ । | |
| १९. | आन्तरिक लेखापरीक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानिय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणले औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु भन्दा अगाडी सम्परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले कानूनको उक्त व्यवस्था बमोजिम आफ्नो आय र व्यय हिसावको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छैन । यसबाट आन्तरिक नियन्त्रणमा असर पर्न सक्ने अवस्था समेत देखिन आयो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले ध्यान दिई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| २०. | सार्वजनिक परिक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------|---|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|----------------------------|------|------|------|---|---|-------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| | सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ,दिगो र भरपर्दो वनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परिक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरी सेवाग्राहिले उपस्थिति जनाएको माईन्यूट गरेता पनि सार्वजनिक परीक्षण गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरेको छैन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१. | प्रगति विवरण- स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ (३) मा नगरपालिकाको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगति विवरण १५ दिन भित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चौमासिक प्रगति विवरण तयार भएको देखिएन । प्रगति विवरण तयार नगरेबाट भए गरेको खर्चको यथार्थ विवरण को जानकारी नहुने देखिन्छ । गाउपालिकाले कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार तोकिएको समयमा प्रगति विवरण तयारी गरी पेश हुनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | बरबुझारथ : मन्त्रालयको मिति २०७३१२२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम गाउपालिका तथा नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजु अभिलेख समायोजन भएको नगरपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख गाउपालिकाले एकिन गरी अद्यावधिक नगरेकोले गाउपालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३. | स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा: नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार लेकम गाउपालिकाले देहाय बमोजिम यस वर्ष रु.१०४४०४८५०० सुविधावापत भुक्तानी भएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">सि. नं.</th> <th style="width: 30%;">विवरण</th> <th style="width: 10%;">प्रमुख/अध्यक्ष</th> <th style="width: 10%;">उपप्रमुख</th> <th style="width: 10%;">बडा अध्यक्ष ६ जना</th> <th style="width: 10%;">कार्यपालिका सदस्य ६ जना</th> <th style="width: 10%;">सभाका सदस्य २० जना</th> <th style="width: 10%;">जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>मासिक सुविधा</td><td>३००००</td><td>२५०००</td><td>११००००</td><td>४८०००</td><td>९७५००</td><td>३७२६००० गत आ.व ३७२६०००</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>७४५२०००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा)</td><td>११००</td><td>१०००</td><td>३०००</td><td>-</td><td>-</td><td>६९२००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>बैठक भत्ता (बैठक संख्याको आधारमा)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>१७०४०००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>अनुगमन भत्ता (मासिक)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>१२२३२८५</td></tr> <tr> <td colspan="2">चालु आ.व.जम्मा</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>६९४४८५.००</td></tr> <tr> <td colspan="2">गत वर्ष जम्मा</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>३७२६०००.००</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल जम्मा</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>१०४४०४८५.०</td></tr> </tbody> </table> | सि. नं. | विवरण | प्रमुख/अध्यक्ष | उपप्रमुख | बडा अध्यक्ष ६ जना | कार्यपालिका सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य २० जना | जम्मा | १ | मासिक सुविधा | ३०००० | २५००० | ११०००० | ४८००० | ९७५०० | ३७२६००० गत आ.व ३७२६००० | | | | | | | | ७४५२००० | २ | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | ११०० | १००० | ३००० | - | - | ६९२०० | ३ | बैठक भत्ता (बैठक संख्याको आधारमा) | - | - | - | - | - | १७०४००० | ४ | अनुगमन भत्ता (मासिक) | - | - | - | - | - | १२२३२८५ | चालु आ.व.जम्मा | | | | | | | ६९४४८५.०० | गत वर्ष जम्मा | | | | | | | ३७२६०००.०० | कुल जम्मा | | | | | | | १०४४०४८५.० | |
| सि. नं. | विवरण | प्रमुख/अध्यक्ष | उपप्रमुख | बडा अध्यक्ष ६ जना | कार्यपालिका सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य २० जना | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | मासिक सुविधा | ३०००० | २५००० | ११०००० | ४८००० | ९७५०० | ३७२६००० गत आ.व ३७२६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ७४५२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | ११०० | १००० | ३००० | - | - | ६९२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | बैठक भत्ता (बैठक संख्याको आधारमा) | - | - | - | - | - | १७०४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | अनुगमन भत्ता (मासिक) | - | - | - | - | - | १२२३२८५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चालु आ.व.जम्मा | | | | | | | ६९४४८५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गत वर्ष जम्मा | | | | | | | ३७२६०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल जम्मा | | | | | | | १०४४०४८५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४. | योजना र कार्यान्वयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना वनाउँदा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरि प्राथमिककरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना वनाउँदा मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयारगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । गाउपालिकाले सो बमोजिमको सूचि तयार नगरी सालबसाली टुके योजनाहरूमात्र संचालन गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५. | आर्थिक कारोबार बन्द नगरेको आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०६४ को नियम ३३ मा सालतमाम हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि कार्यालयले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिइ आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने र आर्थिक कारोबार बन्द गरेपछि निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरि बाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले तोकिएको समयमा खाता बन्द नगरी वर्षान्त पछि समेत निम्न खर्च खाताहरूमा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------|----------|---|--------|-----------|--|----------|-----------|--------------|-----------------|--|--|
| | <p>मौज्दात शुन्य नभइ बाँकी रहेको देखियो ।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">बैड खाता नं.</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">मौज्दात रकम रु.</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">स्टेटमेण्टमा देखिएको कारोवार मिति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">पुजिगत खर्च खाता रा.वा.बैक ४०९०३०२०२६२०५</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१५१५७२</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">२०७६०४१९</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">पुजिगत खर्च खाता लक्ष्मी बैक लेकम ०९०९१०००९०६</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">१८००३६</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">२०७६०४१०८</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">चालु खर्च खाता रा.वा.बैक ४०९०३०२०१६१०५</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">११५८४७५९</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">२०७६०४१२६</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">जम्मा</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">११९९६३६७</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>तोकिएको समयमा आर्थिक कारोवार बन्द नगरेको कारणले हिसाब एकीन हुन नसकी मौज्दात रकम फिर्ता नभएको हुन सक्ने देखिन्छ । समयमा आर्थिक कारोवार बन्द नगर्दा आर्थिक कारोवारको लेखा अद्यावधिक नहुने र नियममा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको देखियो । नियममा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा आर्थिक कारोवार बन्द गरी लेखा अद्यावधिक गरी वर्षान्तमा मौज्दात बाँकी रकम सञ्चित कोष खाता फिर्ता हुनुपर्दछ ।</p> | बैड खाता नं. | मौज्दात रकम रु. | स्टेटमेण्टमा देखिएको कारोवार मिति | पुजिगत खर्च खाता रा.वा.बैक ४०९०३०२०२६२०५ | १५१५७२ | २०७६०४१९ | पुजिगत खर्च खाता लक्ष्मी बैक लेकम ०९०९१०००९०६ | १८००३६ | २०७६०४१०८ | चालु खर्च खाता रा.वा.बैक ४०९०३०२०१६१०५ | ११५८४७५९ | २०७६०४१२६ | जम्मा | ११९९६३६७ | | |
| बैड खाता नं. | मौज्दात रकम रु. | स्टेटमेण्टमा देखिएको कारोवार मिति | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुजिगत खर्च खाता रा.वा.बैक ४०९०३०२०२६२०५ | १५१५७२ | २०७६०४१९ | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुजिगत खर्च खाता लक्ष्मी बैक लेकम ०९०९१०००९०६ | १८००३६ | २०७६०४१०८ | | | | | | | | | | | | | | | |
| चालु खर्च खाता रा.वा.बैक ४०९०३०२०१६१०५ | ११५८४७५९ | २०७६०४१२६ | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ११९९६३६७ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | <p>डोजर, स्काभेटर लगायत मेसिनको प्रयोग :- कार्यालयले नयाँ बाटोको ट्र्याक खन्ने, सडक विस्तार गर्ने, पहिरो पन्छाउने आदि कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको छ । यसरी गर्ने कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा जिल्ला दररेट बमोजिम प्रति घनमिटर माटो खन्न तोकिएको दरलाई आधार बनाई तर्जुमा गर्ने गरेको छ । तर उपभोक्ताहरूले काम गर्दा र गराउदा प्रति घण्टाको दरमा डोजर, स्काभेटर आदि मेसिन भाडामा लिई कार्यहरु गराउने गरेको पाइयो । यसरी मेसिन भाडामा लिदा एउटै प्रकृतिको कार्य गर्ने एउटै मेसिनको भाडा समेत एउटै वा फरक स्थान र समयमा समेत फरक फरक दरले भाडामा लिई कार्य गराउने गरेको देखियो । इन्धन खपत समेत एउटै प्रकृतिको मेसिन र कार्यमा समेत फरक परिमाण खपत हुने गरेको देखियो । यसप्रकार गरिएको कार्यको नापजाच भने स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम प्रति घनमिटरमा नै गर्ने गरिएको छ । तर प्रति घन मिटर उक्त कार्यहरु गर्न के कति घण्टा मेसिन चलाउनु पर्दछ, सोको विश्लेषण गर्ने गरेको पाइएन । गाँउ कार्यपालिकाले समेत प्रति घण्टा डोजर, स्काभेटर लगायतका मेसिनको दररेट के कति हुने सम्बन्धमा निर्णय गरेको देखिन आएन । त्यसैगरी उपभोक्ताबाट गरिने कार्यहरु श्रम प्रधान हुनुपर्ने र मेसिनको प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने प्रचलित कानूनहरूको प्रावधान समेत पालना भएको देखिन आएन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | <p>कामको नापजांच र नापी कितावः स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा स्थानिय तहले आफ्नो कारोवारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा राख्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विकास योजना तथा कार्यक्रममा भएको कामको तोकिएको प्राविधिकबाट तोकिए बमोजिम नापजांच र प्राविधिक पुष्टाई गर्नुपर्ने प्रावधानहरु रहेको छ । कार्यालयले योजना तथा कार्यक्रममा भएको कामको नापजांच र जांचपास गर्दा केहि योजना तथा कार्यक्रमहरुमा लुज सिटको पानामा नापजांच गरी प्रविष्टि गरेको छ, भने केहि योजना तथा कार्यक्रमको हार्डकपि नापी कितावमा योजना वा कार्यक्रम पिच्छे छुट्टा छुट्टै प्रविष्टि गर्ने गरेको छ । लुज सिटमा प्रविष्टि गर्दा कुनैमा Measurement sheet, कुनैमा Detail measurement sheet, कुनैमा Cost valuation वा खर्च विवरण आदि उल्लेख गरी प्रविष्टि गरेको छ । यस प्रकार गरेको नापजांचको अभिलेख अद्यावधिक गरी नराखेको तथा र रनिङ्गविलहरु तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पनि तोकिएको ढाँचामा राखेको छैन जस्ते गर्दा अघिल्लो विलको कामको परिमाण र रकम नखुल्ने दाहोरो भुक्तानी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस तर्फ गाँपालिकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | <p>मू.अ.कर दाखिला: मू.अ.कर ऐन, २०५२ तथा नियमावली, २०५३ बमोजिम कार्यालयले भुक्तानी दिएको १३ प्रतिशत मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशत मू.अ.कर रकम कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कार्यालयले यस प्रकार कट्टी गरेको मू.अ.कर रकम कुन कुन व्यक्ति वा संस्थाको के कति कट्टी गरी के कति रकम राजस्वको सम्बन्धित खातामा दाखिला गरियो सो अभिलेख तयार नगरेबाट यकिन हुन सकेन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९. | <p>अग्रिम कर समयमा दाखिला नगरेको : आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा अग्रिम कर कट्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्थ दिन भित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले भुक्तानीमा कट्टा गरेको अग्रिम कर समयमा दाखिला नगरी एकमुष्टि रकम रु १४,९२,१२०१०० मिति २०७६०३३१ मा दाखिला गरेको देखियो ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------|------------|------------------------------|--------------|------------|---|---------------------|------------|--|--------------|---------------------|--|
| | ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको र समयमा दाखिला गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको कारणले समयमा दाखिला नभएको हुनसक्ने देखियो । समयमा दाखिला नहुदा आर्थिक कारोबारको लेखा अद्यावधिक नहूने र राजश्व आम्दानी दाखिला ढिला हुने देखियो । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार भूक्तानीमा कट्टी गरिएको अग्रिम कर समयमा दाखिला गरी लेखा दुरुस्त हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | एकमुष्ट बजेट विनियोजन : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा सभाले योजना तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पारित गर्ने व्यवस्था छ । सभाले पारित गरेको सुरु बजेटमा निम्नानुसारका बजेट योजना तथा कार्यक्रमगत नभइ एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरि पछि छुट्याइएको छ । योजना तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन नगरी पछि योजना छुट्याउदा योजना छनौट कार्य प्रभावकारी नहुन सक्छ । सुरु बजेट विनियोजन गर्दा योजना तथा कार्यक्रमगत रकम विनियोजन गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । यस वर्ष एकमुष्ट बजेट विनियोजनको क्षेत्र निम्न छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>विनियोजन गरेको क्षेत्र</th><th>रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>विभिन्न सडक निर्माणमा</td><td>५०००००००१००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>विभिन्न सडक डि.पि.आरमा</td><td>४००००००१००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>समपुरक कोषमा</td><td>४००००००१००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>विद्युतीकरण सबै वडा</td><td>६००००००१००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>६,४००००००१००</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | विनियोजन गरेको क्षेत्र | रकम रु. | १ | विभिन्न सडक निर्माणमा | ५०००००००१०० | २ | विभिन्न सडक डि.पि.आरमा | ४००००००१०० | ३ | समपुरक कोषमा | ४००००००१०० | ४ | विद्युतीकरण सबै वडा | ६००००००१०० | | जम्मा | ६,४००००००१०० | |
| सि.नं. | विनियोजन गरेको क्षेत्र | रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | विभिन्न सडक निर्माणमा | ५०००००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | विभिन्न सडक डि.पि.आरमा | ४००००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | समपुरक कोषमा | ४००००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | विद्युतीकरण सबै वडा | ६००००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ६,४००००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | स-साना योजना छनौट : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा योजना तथा कार्यक्रम सहितको आय व्ययको बजेट सभाले पारित गर्ने व्यवस्था छ । सभाले पारित गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु साना र धेरै योजनाहरु छनौट भएको देखिन्छ । यससी स-साना योजनाहरु छनौट हुँदा बढी प्रतिफल दिन नसक्ने, दिगो योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने, प्रभावकारी अनुगमन नहुने प्रशासनिक खर्च बढी हुने तथा दिगो तथा गुणस्तरीय विकासका वाधा पुग्ने र समग्र योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने देखिन्छ । गाँउपालिकाले योजना छनौट गर्दा उत्पादन र उत्पादक्त्व बढाने तथा आम नागरिकको जिवनस्तर माथि उकास्ने योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । गाँपालिकाले धेरै प्रतिफल दिनसक्ने ठुला योजनाहरु छनौट गरी योजनाको दिगोपनामा जोड दिइ धेरै स-साना योजना छनौट गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । यस वर्ष गाँपालिकाले सञ्चालन गरेका टुक्रे योजनाको विवरण निम्न छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th><th>संख्या</th><th>रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रु ५ लाख भन्दा कमका योजना</td><td>२८७</td><td>४७२३००००१००</td></tr> <tr> <td>रु ५ लाख भन्दा माथि रु १० लाख सम्मका योजना</td><td>११</td><td>८६०००००१००</td></tr> <tr> <td>रु १० लाख भन्दा माथिका योजना</td><td>९</td><td>७४००००००</td></tr> </tbody> </table> | योजना | संख्या | रकम रु. | रु ५ लाख भन्दा कमका योजना | २८७ | ४७२३००००१०० | रु ५ लाख भन्दा माथि रु १० लाख सम्मका योजना | ११ | ८६०००००१०० | रु १० लाख भन्दा माथिका योजना | ९ | ७४०००००० | | | | | | | |
| योजना | संख्या | रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रु ५ लाख भन्दा कमका योजना | २८७ | ४७२३००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रु ५ लाख भन्दा माथि रु १० लाख सम्मका योजना | ११ | ८६०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रु १० लाख भन्दा माथिका योजना | ९ | ७४०००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२. | उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउदा मितव्यिता, गुणस्तरियता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि त्यस्तो कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा एक करोड भन्दा बढी लागत अनुमानको कार्य गराउन नमिल्ने, साठी लाख रुपैया भन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाइमा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने, हेभी मेशिनहरु प्रयोग गर्न नमिल्ने, आफुले पाएको निर्माण कार्य सवकन्ट्याक्टरबाट गराउन नमिल्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि आयोजनाको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र खरिद नियमावलीको नियम १९ मा स्थायी लेखा नम्वर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले धेरैजसो निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएकोमा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा मितव्यिता, गुणस्तरियता, दिगोपना र रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त आधारहरु सुनिश्चित गरेर निर्माण कार्य गराएको देखिदैन । खरिद नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु अधिकांश सडकका आयोजनाको कुल लागत अनुमान एक करोड भन्दा बढी हुने साठी लाख भन्दा बढी लागत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------|------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--|--|--|------------------|--|
| | अनुमान भएकोमा प्रत्येक इकाइमा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने योगदान उल्लेख नहुने, सडक निर्माण कार्यका योजनाहरूमा हेभी मेशिन प्रयोग हुने, हेभी मेशिनको प्रयोग कन्सटक्सन कम्पनी मार्फत हुने गरेको र निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिलाई आयोजना हस्तान्तरण हुने नगरेको र स्थायी लेखा नम्बर नलिएकाले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउन मिल्ने देखिदैन। नियममा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा असर परेको छ। खरिद ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउनुपर्ने अन्यथा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा देखिएका अन्य व्यहोराहरू निम्नानुसार छन्। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२.१ | लागत अनुमान तयार नगरेको उपभोक्ता समिति मार्फत भएका निम्न कार्यहरूको लागत अनुमान तयार नगरी र सम्झौतामा पुर्ण विवरण उल्लेख नगरी कार्यालयको बजेट रकममा २० प्रतिशत थप जनश्रमदान मात्र उल्लेख गर्ने गरेकोले लागत अनुमान तयार गरी सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने सम्पुर्ण विवरणहरू उल्लेख नहुनुको साथै यो वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने निर्माण कार्य सम्पन्न नभइ पेशकी मात्र दिएको र एक तिहाई भन्दा बढी नियमले नमिल्ने पेशकी दिएको देखियो। जुन निम्नानुसार छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>निर्माण कार्य</th><th>सम्झौता रकम रु.</th><th>पेशकी दिइएको रकम रु.</th><th>सम्पन्न गर्नुपर्ने</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>टक्ना ओडिगाउ खरकडा सडक</td><td>७००००००</td><td>२३,००,०००</td><td>२०७६०३२०</td></tr> <tr> <td>लाली रतौडा शेरा सडक</td><td>७००००००</td><td>२३,००,०००</td><td>२०७६०३२०</td></tr> <tr> <td>पार्थलीदेखि लेकम गा.पा.सडक</td><td>३५०००००</td><td>११,५०,०००</td><td>२०७६०३१५</td></tr> <tr> <td>खेताली बडिपुर सडक</td><td>५५०००००</td><td>१८,००,०००</td><td>२०७६०३२०</td></tr> <tr> <td>देथलीदेखि पितौली गणेत सडक</td><td>७००००००</td><td>२३,००,०००</td><td>२०७६०३२५</td></tr> <tr> <td>विद्युतपोल खरिद ६ वटा बडाहरू</td><td>६००००००</td><td>३०,००,०००</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> | निर्माण कार्य | सम्झौता रकम रु. | पेशकी दिइएको रकम रु. | सम्पन्न गर्नुपर्ने | टक्ना ओडिगाउ खरकडा सडक | ७०००००० | २३,००,००० | २०७६०३२० | लाली रतौडा शेरा सडक | ७०००००० | २३,००,००० | २०७६०३२० | पार्थलीदेखि लेकम गा.पा.सडक | ३५००००० | ११,५०,००० | २०७६०३१५ | खेताली बडिपुर सडक | ५५००००० | १८,००,००० | २०७६०३२० | देथलीदेखि पितौली गणेत सडक | ७०००००० | २३,००,००० | २०७६०३२५ | विद्युतपोल खरिद ६ वटा बडाहरू | ६०००००० | ३०,००,००० | - | | | | | | | | |
| निर्माण कार्य | सम्झौता रकम रु. | पेशकी दिइएको रकम रु. | सम्पन्न गर्नुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| टक्ना ओडिगाउ खरकडा सडक | ७०००००० | २३,००,००० | २०७६०३२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लाली रतौडा शेरा सडक | ७०००००० | २३,००,००० | २०७६०३२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पार्थलीदेखि लेकम गा.पा.सडक | ३५००००० | ११,५०,००० | २०७६०३१५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खेताली बडिपुर सडक | ५५००००० | १८,००,००० | २०७६०३२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| देथलीदेखि पितौली गणेत सडक | ७०००००० | २३,००,००० | २०७६०३२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विद्युतपोल खरिद ६ वटा बडाहरू | ६०००००० | ३०,००,००० | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२.२ | जनसहभागिता रकम कटटा नगरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०६४ को नियम ९७(४) मा उपभोक्ता समितिलाई जनसहभागिता रकम कटटा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिसंग भएको सम्झौता र स्थानीय तहको उपभोक्ता सम्बन्धी कार्यविधिमा २० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोले उपभोक्ता समितिले गरेको निम्न कार्यमा २० प्रतिशतले हुने रकम कटटा गरी कार्यालयबाट ८० प्रतिशत भुक्तानी हुनुपर्नेमा बढी भुक्तानी भएको देखियो। यस सम्बन्धि विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ. नं.र मिति</th><th>निर्माण कार्य</th><th>मूल्याकान्त भएको रकम रु.</th><th>भुक्तानी भएको रकम</th><th>बढी भुक्तानीभएको रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३२०७६०३१११</td><td>गोकुलेश्वर लाली सडक</td><td>६५,७९,६५९१९७</td><td>५३०७९२९</td><td>४३४०९१२४</td></tr> <tr> <td>४३२०७६०३२३</td><td>६ नं. वडा कार्यालय भवन</td><td>४२,५९,६९३३२४</td><td>३५,४९,५००१०</td><td>१,४१,७४५१३३</td></tr> <tr> <td>४३२०७६०३२५</td><td>२ नं. वडा कार्यालय भवन</td><td>२६,९३,०३५१५९</td><td>२६,००,०००१०</td><td>४,४५,५७१५३</td></tr> <tr> <td>२४२०७६०३११३</td><td>५ नं. वडा कार्यालय भवन</td><td>२१,७९,८२३१९</td><td>२०,०३,१४५१०</td><td>२,६०,०८३०५</td></tr> <tr> <td>४१२०७६०३२</td><td>१ नं. वडा कार्यालय भवन</td><td>२४,०२,०२५१७२</td><td>२५,००,०००१०</td><td>५,७८,३७१४२</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td></td><td></td><td>१४६९१८३५७</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ. नं.र मिति | निर्माण कार्य | मूल्याकान्त भएको रकम रु. | भुक्तानी भएको रकम | बढी भुक्तानीभएको रकम | ३२०७६०३१११ | गोकुलेश्वर लाली सडक | ६५,७९,६५९१९७ | ५३०७९२९ | ४३४०९१२४ | ४३२०७६०३२३ | ६ नं. वडा कार्यालय भवन | ४२,५९,६९३३२४ | ३५,४९,५००१० | १,४१,७४५१३३ | ४३२०७६०३२५ | २ नं. वडा कार्यालय भवन | २६,९३,०३५१५९ | २६,००,०००१० | ४,४५,५७१५३ | २४२०७६०३११३ | ५ नं. वडा कार्यालय भवन | २१,७९,८२३१९ | २०,०३,१४५१० | २,६०,०८३०५ | ४१२०७६०३२ | १ नं. वडा कार्यालय भवन | २४,०२,०२५१७२ | २५,००,०००१० | ५,७८,३७१४२ | जम्मा | | | | १४६९१८३५७ | |
| गो.भौ. नं.र मिति | निर्माण कार्य | मूल्याकान्त भएको रकम रु. | भुक्तानी भएको रकम | बढी भुक्तानीभएको रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२०७६०३१११ | गोकुलेश्वर लाली सडक | ६५,७९,६५९१९७ | ५३०७९२९ | ४३४०९१२४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३२०७६०३२३ | ६ नं. वडा कार्यालय भवन | ४२,५९,६९३३२४ | ३५,४९,५००१० | १,४१,७४५१३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३२०७६०३२५ | २ नं. वडा कार्यालय भवन | २६,९३,०३५१५९ | २६,००,०००१० | ४,४५,५७१५३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४२०७६०३११३ | ५ नं. वडा कार्यालय भवन | २१,७९,८२३१९ | २०,०३,१४५१० | २,६०,०८३०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४१२०७६०३२ | १ नं. वडा कार्यालय भवन | २४,०२,०२५१७२ | २५,००,०००१० | ५,७८,३७१४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | १४६९१८३५७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | लागत अनुमान एवं प्राविधिक मूल्याकान्त विल तयार गर्दा जनश्रमदान बाफतको रकम उल्लेख गर्ने नगरेको कारणले र जनश्रमदान बाफतको रकम हिसाब नगरेको कारणले बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ। बढी भुक्तानी हुदा कार्यालयलाई व्ययभार थप हुन गएको छ। लागत अनुमान तयार गर्दा जनश्रमदान बाफतको रकम उल्लेख गरी प्राविधिक मूल्याकान्त विलमा समेत उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने रकम स्पष्ट उल्लेख गरी भुक्तानीको विल तयार हुनुपर्दछ। उपभोक्ता समितिलाई जनश्रमदान बाफत व्यहोर्नुपर्ने रकम कटटा नगरी बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्ने रु..... | १४६९१८३५७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२.३ | वर्षान्तमा पेशकी दिएको : अर्थिक कार्यविधि नियमावली , २०६४ को नियम ७८ मा अर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म काम हुन नपाइ बजेट फीज हुन नदिने उद्देश्यले मात्र कसैलाई पेशकी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। निम्न उपभोक्ता समितिलाई वर्षान्तमा पेशकी दिएको र फछ्यौट हुन बाँकी रहेकोले बजेट फीज हुन नदिने उद्देश्यले मात्र पेशकी दिएको देखियो। वर्षान्तमा फीज नगर्ने उद्देश्यले पेशकी दिदा र वर्षान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको निर्माण कार्य सुरु सम्पन्न नहुदा नियम विपरित भएको छ। नियममा व्यवस्था भए अनुसार फीज नगर्ने उद्देश्यले वर्षान्तमा फछ्यौट नहुने गरी पेशकी दिने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ। यस सम्बन्धि विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|-----------------------|--|
| | <p>निम्नअनुसार छन् ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th><th>सम्भौतामा रकम</th><th>पेशकी गएको रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>टकना ओडिगाउ खरकडा सडक</td><td>७०,००,०००+२०% श्रमदान</td><td>२३,००,०००</td></tr> <tr> <td>लाली रतौडा शेरा सडक</td><td>७०,००,०००+ २०% श्रमदान</td><td>२३,००,०००</td></tr> <tr> <td>गिर्थलीदेखि लैकम गा.पा.सडक</td><td>३५,००,०००+ २०% श्रमदान</td><td>११,५०,०००</td></tr> <tr> <td>खेताली बडिपुर सडक</td><td>५५,००,०००+२०% श्रमदान</td><td>१८,००,०००</td></tr> <tr> <td>देथलीदेखि पितौली गणेत सडक</td><td>७०,००,०००+ २०% श्रमदान</td><td>२३,००,०००</td></tr> <tr> <td>विद्युतपोल खरिद कार्य ६वटा वडाहरु</td><td>६०,००,०००</td><td>३०,००,०००</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td>१,२८,५०,०००।००</td></tr> </tbody> </table> | उपभोक्ता समितिको नाम | सम्भौतामा रकम | पेशकी गएको रकम | टकना ओडिगाउ खरकडा सडक | ७०,००,०००+२०% श्रमदान | २३,००,००० | लाली रतौडा शेरा सडक | ७०,००,०००+ २०% श्रमदान | २३,००,००० | गिर्थलीदेखि लैकम गा.पा.सडक | ३५,००,०००+ २०% श्रमदान | ११,५०,००० | खेताली बडिपुर सडक | ५५,००,०००+२०% श्रमदान | १८,००,००० | देथलीदेखि पितौली गणेत सडक | ७०,००,०००+ २०% श्रमदान | २३,००,००० | विद्युतपोल खरिद कार्य ६वटा वडाहरु | ६०,००,००० | ३०,००,००० | जम्मा | | १,२८,५०,०००।०० | |
| उपभोक्ता समितिको नाम | सम्भौतामा रकम | पेशकी गएको रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| टकना ओडिगाउ खरकडा सडक | ७०,००,०००+२०% श्रमदान | २३,००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लाली रतौडा शेरा सडक | ७०,००,०००+ २०% श्रमदान | २३,००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गिर्थलीदेखि लैकम गा.पा.सडक | ३५,००,०००+ २०% श्रमदान | ११,५०,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खेताली बडिपुर सडक | ५५,००,०००+२०% श्रमदान | १८,००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| देथलीदेखि पितौली गणेत सडक | ७०,००,०००+ २०% श्रमदान | २३,००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विद्युतपोल खरिद कार्य ६वटा वडाहरु | ६०,००,००० | ३०,००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | १,२८,५०,०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | <p>आर्थिक सहायता :स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा , कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को ३.४ मा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायतामा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । निम्न भौचरबाट राहत वितरण गरेकोले नियमानुसार नदेखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.र मिति</th><th>वितरित कार्यक्रम</th><th>रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२४।२०७५।११।०८</td><td>विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण</td><td>६९००००।००</td></tr> <tr> <td>२६।२०७५।०३।०८</td><td>विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण</td><td>११५०००।००</td></tr> <tr> <td>३७।२०७५।०३।२७</td><td>विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण</td><td>६६५०००।००</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td>१४७००००।००</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं.र मिति | वितरित कार्यक्रम | रकम रु. | २४।२०७५।११।०८ | विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण | ६९००००।०० | २६।२०७५।०३।०८ | विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण | ११५०००।०० | ३७।२०७५।०३।२७ | विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण | ६६५०००।०० | जम्मा | | १४७००००।०० | १४,७०,०००।०० | | | | | | | | | |
| गो.भौ.नं.र मिति | वितरित कार्यक्रम | रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४।२०७५।११।०८ | विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण | ६९००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६।२०७५।०३।०८ | विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण | ११५०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७।२०७५।०३।२७ | विपद व्यवस्थापन बाफतको राहत वितरण | ६६५०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | १४७००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३४. | <p>वितरणमुखी खर्च स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निम्न भौचरबाट पाइप खरिद गरिव्यक्तिलाई वितरण गरेकोले स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम नबनाइ गरेको खर्च नियमानुसार देखिएको रु.....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.र मिति</th><th>वितरित सामाग्री</th><th>रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३।।२०७५।११।१७</td><td>पाइप खरिद वितरण</td><td>३०००००।००</td></tr> <tr> <td>४।।२०७५।११।१७</td><td>पाइप खरिद वितरण</td><td>२७४९।८५।००</td></tr> <tr> <td>४।।२०७५।११।१७</td><td>पाइप खरिद वितरण</td><td>२७९।२०।७००</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td>८,६४,१९।२००</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं.र मिति | वितरित सामाग्री | रकम रु. | ३।।२०७५।११।१७ | पाइप खरिद वितरण | ३०००००।०० | ४।।२०७५।११।१७ | पाइप खरिद वितरण | २७४९।८५।०० | ४।।२०७५।११।१७ | पाइप खरिद वितरण | २७९।२०।७०० | जम्मा | | ८,६४,१९।२०० | ८,६४,१९।२०० | | | | | | | | | |
| गो.भौ.नं.र मिति | वितरित सामाग्री | रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३।।२०७५।११।१७ | पाइप खरिद वितरण | ३०००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४।।२०७५।११।१७ | पाइप खरिद वितरण | २७४९।८५।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४।।२०७५।११।१७ | पाइप खरिद वितरण | २७९।२०।७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ८,६४,१९।२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५. | <p>विद्यालय अनुदान दिएको : १५।।२०७६।०१।२६ आर्थिक कार्यावधि नियमावली , २०६४ को नियम ३६(३) मा विल भर्पाइ सहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ४९ विद्यालयहरुको खातामा शिक्षक , बालविकास र कार्यालय सहयोगीलाई रु ५५,७२,१४०।०० अनुदान रकम दिइएकोमा विल भर्पाइ पेश संलग्न नभएको र विद्यालय संचालनको अनुदान रकम सर्तको बजेटबाट निकासा हुने हुदा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट दिनुपर्ने आधार स्पष्ट देखिदैन् । विल भर्पाइ सहितका आधार प्रमाण नहुदा खर्च पुष्ट्याइ हुदैन् । खर्च लेख्दा विल भर्पाइ सहितका आधार प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.....</p> | ५५,७२,१४०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तर्फ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६. | <p>कर विजक वेगर भुक्तानी :- मुल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा प्रत्येक दर्ता भएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रापकलाई वीजक दिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आयकर ऐन २०५८ को दफा १० छ (२) मा दफा २ को खण्ड (८)बमोजिम छुट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरुमा कर छुट हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसै गरी ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ मा सहयोगी संस्था छनोट तथा परचालन कार्यावधिमा मुनाफा राहत गैर सरकारी संस्थाको रूपमा रहेको संस्थाले सम्बन्धित कर कार्यालयबाट कर छुटको प्रमाण पत्र अनिवार्य भनि उल्लेख छ । यस गाँउपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न तालिम लगायतका कार्यक्रम गर्न सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज दार्चुला सँग सम्भौता गरी कार्य गरेकोमा उक्त संस्थाले २०६२ सालमा कर छुटको प्रमाण पत्र लिएकोमा त्यसको नविकरण समेत गरेको छैन । त्यसैगरी यस गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप मुनाफा आर्जन गर्ने क्रियाकलाप सँग सम्बन्धित देखिन्छ । यस संस्थालाई कर विजक वेगर तल उल्लेखित रु.७५,२४।३०।०० भुक्तानी भएकोले</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------------|------------|----------|---|--------------------|----------------|------------|---------|-------|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| | आयकर ऐन ,२०५८ को दफा दफा(१) बमोजिम भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतले हुने रु.११२८६५१०० सम्बन्धितवाट असुल हुनु पर्दछ । | | | | | ११२८६५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | गौ.भौ.नं./मिति | भुक्तानी लिने संस्था | भुक्तानी रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २-२०७५/६/११ | सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज दार्चुला | १७४६००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ५-२०७५/११/०९ | सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज दार्चुला | २८९७८६।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ७-२०७५/१२/२८ | सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज दार्चुला | २८८०४४।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | ७५२४३०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | डण्डीको विल भन्दा बढी भुक्तानी : गौ.भौ.नं.१३ -२०७६।३।२४ सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४ को नियम ९७(६) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आफुले प्रत्येक किस्ताको प्राविधिक मूल्याङ्कन ,विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकवाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कार्यालयले केदारनाथ प्रा.वि. वडा नं.७ को २ कोठे शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता गरी कार्य गरेकोमा सम्झौताको अर्थात लागत अनुमानको item no.8 मा MS bar for RCC work भनि जम्मा ६०९.२९ के.जी खपत गर्ने गरी लागत अनुमान तयार पारेकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको कर विजक जम्मा १५० के.जी मात्र पेश गरेको देखिएकाले कर विजक वेगरको ४५९.२९ के.जी को प्रति के.जी.दर रु.११७.१५ ले हुने जम्मा रु.५३८०६ को कर विजक पेश गर्नु पर्ने अन्यथा उक्त रकम असुल हुनु पर्ने रु..... | ५३८०६/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सबैको लागी शिक्षा कार्यक्रम तर्फ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८. | विद्यालयलाई बढी निकासा : सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चको विल भर्पाई सहितको लेखा राख्नु पर्ने र कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) र (८) मा व्यवस्था छ । गाँपालिकाले तल उल्लेखित विद्यालयहरुमा निकासा दिदा अवकास प्राप्त शिक्षकलाई समेत भुक्तानी दिएको देखिएकाले बढी भुक्तानी भएको जम्मा रु. बढी निकसा माग गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल हुनु पर्दछ । | ८६१५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं .</th><th>विद्यालयको नाम</th><th>शिक्षकको नाम</th><th>अवकास मिति</th><th>बढी भुक्तानी रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>देवी आ.वि खस्तड</td><td>रामदत्त पन्थ</td><td>२०७६।३।४</td><td>११२५६.००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>लाटीनाथ मा.वि चौपाता</td><td>सद्गु शिक्षक तिर्थराज विष्ट</td><td>२०७६।११।१०</td><td>४२५००.००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>हुनैनाथ मा.वि.कुडे</td><td>धर्मानन्द भट्ट</td><td>२०७६।११।१०</td><td>३२३९.४०</td></tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा</td><td>८६१५०.००</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं . | विद्यालयको नाम | शिक्षकको नाम | अवकास मिति | बढी भुक्तानी रकम रु. | १ | देवी आ.वि खस्तड | रामदत्त पन्थ | २०७६।३।४ | ११२५६.०० | २ | लाटीनाथ मा.वि चौपाता | सद्गु शिक्षक तिर्थराज विष्ट | २०७६।११।१० | ४२५००.०० | ३ | हुनैनाथ मा.वि.कुडे | धर्मानन्द भट्ट | २०७६।११।१० | ३२३९.४० | जम्मा | | | | ८६१५०.०० | | | | |
| सि.नं . | विद्यालयको नाम | शिक्षकको नाम | अवकास मिति | बढी भुक्तानी रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | देवी आ.वि खस्तड | रामदत्त पन्थ | २०७६।३।४ | ११२५६.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | लाटीनाथ मा.वि चौपाता | सद्गु शिक्षक तिर्थराज विष्ट | २०७६।११।१० | ४२५००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | हुनैनाथ मा.वि.कुडे | धर्मानन्द भट्ट | २०७६।११।१० | ३२३९.४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ८६१५०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.१ | गौ.भौ.नं.४-२०७५/०८/०९ हनैनाथ मा.वि कुडीका शिक्षक विनोद अवस्थीकोको छुट तलब भनि श्रावण देखि कार्तिक सम्म रु. ३४२२० का दरले १३६८८० र महर्गी भत्ता वापत ४ महिनाको रु.८०००।०० समेत गरी जम्मा रु.१४४८०० र त्यस्तै गौ.भौ.नं ११ बाट दशै भत्ता वापत रु.३४२२० समेत गरी जम्मा रु.१७९०२०।०० छुट भनि भुक्तानी गरेको छ भुक्तानी गर्दा विद्यालयको माग फारम, शिक्षक नियुक्ती निर्णय तथा नियुक्ती पत्र समावेश गरेको छैन । विद्यालयको माग फारम तथा शिक्षक नियुक्ती निर्णय तथा नियुक्ती पत्र र प्रमाणित हाजिरी वेगरको भुक्तानी असुल हुनुपर्दछ । | १४४८००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.२ | गौ.भौ नं.१२-२०७६/२/२७ तमैराज प्रा.वि जोंगी कोइराली विद्यालयको वैशाख देखि -अषाढ सम्मको शिक्षकहरुको तलब भत्ता वापत रु. ३१७७२।१० भुक्तानी हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य वैक दार्चुलालाई चं.न १५६३ मिति २०७६/०३/२७ बाट विद्यालयको खातामा रु.६०००।०० निकासा दिइएको देखिएकाले बढी निकासा गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार वनाई सम्बन्धित विद्यालयवाट असुल गर्नुपर्ने रु..... | ६००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.३ | गौ.भौ नं.१२-२०७६/२/२७ मालिकार्जुन प्रा.वि पातीको वैशाख देखि आषाढ सम्मको रु.१३४३४४।५० निकासा हुनुपर्नेमा गत आ.व. को छुट रु. १८००० समेत जम्मा रु.१५२३४।५० निकासा भएको देखिएकाले सो विद्यालयको आ.व.२०७४/०७५ ले.प. प्रतिवेदनमा दायित्व देखिनुपर्ने तथा भुक्तानी दिन वाँकीको कच्चावारी पेश हुनुपर्ने अन्यथा उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|------|-----------|--|-------|---|------|-----------|---|------|---|------------|------------|--|------|---|------------|--------------|--|------|---|-----------|----------------|--|------|---|------|----------------|--|------|--------------|--|--|--|----------------|---------|
| ३८.४ | गौ.भौ नं.१२-२०७६/२/२७ लाटीनाथ नि.मा.वि बडी गाँउका शिक्षक सावे गिरी को वैशाख देखि आषाढ सम्म तलव रु. २२७० का दरले तीन महिनाको रु.६६५१० तथा महंगी भत्ता २००० का दरले ३ महिनाको रु.६००० र ४ महिनाको छूट महंगी भत्ता रु. ८००० समेत गरी जम्मा रु.८०५१०१०० भुक्तानी हुनुपर्नेमा बढी भुक्तानी भएको रु.१६०००१०० असुल हुनु पर्दछ । | १६०००/- १६०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.५ | गौ.भौ नं.१०-२०७६/१/५ केदारनाथ मा.वि धरमधर को फागुन र चैत्र महिनाको तलव तथा पोषक भत्ता समेत जम्मा रु.३३५१७५६० भुक्तानी हुनुपर्नेमा यस विद्यालयको नि.मा.वि तहको वैक पठाउदा बढी निकासा भएको रु. २००००१०० असुल हुनु पर्दछ । | २००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | समाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९. | दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण : सामाजिक सुरक्षा ऐन , २०७५ को दफा १७ मा स्थानिय तहले दफा १६ बमेजिमको परिचयपत्रको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको दफा १८ मा वितरण गरिएको समाजिक सुरक्षाको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा अध्यावधिक गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष गाँपालिकाले ६ वटा वडा मार्फत जम्मा रु.३१०१४००० वितरण गरेकोमा सो लेखापरीक्षण योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निकासाको आधारमा पहिलो र पाँचौ स्थानका वडाको छानौट गरिएकोमा पहिलो बढी निकासा हुने वडाको मुल लगत सहित को परीक्षण गरीएको छ र वढी निकासा हुने पाँचौ वडाको मुल लगत सहित अन्य विवरण उपलब्ध नभएकाले परीक्षण गरीएको छैन । नमुना परीक्षण गरीएको बढी निकासा हुने वडा नं.४ मा देखिएको कैफियत निम्नअनुसार छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९.१ | उल्लेखित विवरण अनुसार वडा नं. ४ का वडा सचिव देव गिरी ले नियम विपरित खर्च जनाएको देखिएकाले निजबाट असुल हुनुपर्ने रु.४००००१०० विवरण निम्न अनुसार छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">सि .नं .</th><th style="text-align: center;">नागरिकता नं.</th><th style="text-align: center;">भुक्तानी व्यक्ति</th><th style="text-align: center;">गरिएको विवरण र किस्ता</th><th style="text-align: center;">रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>२५६१</td><td>मोती गिरी</td><td>मुल लगतमा उल्लेख नभएको प्रथम र दोस्रो किस्ता वापत जेठ नागरीक अन्य भनि उल्लेख</td><td style="text-align: center;">१६०००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>२६६५</td><td>गंगा धामी</td><td>दोस्रो चौमासिकमा मृत्यु भैसकेलाई विधवा भत्ता भुक्तानी</td><td style="text-align: center;">४०००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>७२३०३१/५१७</td><td>गौमती पन्त</td><td>दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा</td><td style="text-align: center;">४०००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>७२३०३१/११२</td><td>गौमती सार्की</td><td>दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा</td><td style="text-align: center;">४०००</td></tr> <tr> <td>५</td><td>७२३०३१/३३</td><td>पार्वती पार्की</td><td>दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा</td><td style="text-align: center;">४०००</td></tr> <tr> <td>६</td><td>२५४८</td><td>सुरुदेवी ढाँगा</td><td>प्रथम र दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा</td><td style="text-align: center;">८०००</td></tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">४००००/-</td></tr> </tbody></table> | सि .नं . | नागरिकता नं. | भुक्तानी व्यक्ति | गरिएको विवरण र किस्ता | रकम रु. | १ | २५६१ | मोती गिरी | मुल लगतमा उल्लेख नभएको प्रथम र दोस्रो किस्ता वापत जेठ नागरीक अन्य भनि उल्लेख | १६००० | २ | २६६५ | गंगा धामी | दोस्रो चौमासिकमा मृत्यु भैसकेलाई विधवा भत्ता भुक्तानी | ४००० | ३ | ७२३०३१/५१७ | गौमती पन्त | दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ४००० | ४ | ७२३०३१/११२ | गौमती सार्की | दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ४००० | ५ | ७२३०३१/३३ | पार्वती पार्की | दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ४००० | ६ | २५४८ | सुरुदेवी ढाँगा | प्रथम र दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ८००० | जम्मा | | | | ४००००/- | ४००००/- |
| सि .नं . | नागरिकता नं. | भुक्तानी व्यक्ति | गरिएको विवरण र किस्ता | रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २५६१ | मोती गिरी | मुल लगतमा उल्लेख नभएको प्रथम र दोस्रो किस्ता वापत जेठ नागरीक अन्य भनि उल्लेख | १६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | २६६५ | गंगा धामी | दोस्रो चौमासिकमा मृत्यु भैसकेलाई विधवा भत्ता भुक्तानी | ४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ७२३०३१/५१७ | गौमती पन्त | दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ७२३०३१/११२ | गौमती सार्की | दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ७२३०३१/३३ | पार्वती पार्की | दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | २५४८ | सुरुदेवी ढाँगा | प्रथम र दोस्रो चौमासिक विधवा भत्ता दोहोरो निकासा | ८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ४००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९.२ | नमुना परीक्षण गरिएको वडा नं.४ मा मुल लगत किताब र VERSP-MIS को तथ्याङ्क फरक परेको तथा MIS मा कतिपय नामहरु दोहोरो प्रविष्ट भएको देखिएकाले अन्य वडाको समेत गाँउपालिकावाट छानविन हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४०. | पेशकी बाँकी:- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (५) र (६) मा खरिद सम्भौताको शर्त अनुसार पेशकी फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४(३) मा सरकारी काम काजको लागि दिइएको पेशकी नियमावलीमा तोकिएको म्यादभित्र फछ्यौट गर्नु गराउनु पेशकी लिने दिने दुवै थरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । गाँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार निम्नानुसार फछ्यौट हुन बाँकी रहेको पेशकी लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि फछ्यौट नगरी बाँकी राखेको पाइएकोले नियमानुसार फछ्यौट हुन पर्ने रु..... | १५३९९८५५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">पेशकी लिएको मिति</th><th style="text-align: center;">पेशकी लिने उपभोक्ता समितिको नाम तथा व्यक्तिको नाम</th><th style="text-align: center;">म्याद ननाखेको रु-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११/९/२०७५</td><td>कैनोडा सिचाइ कुलो निर्माण २</td><td style="text-align: center;">१०००००</td></tr> </tbody> </table> | पेशकी लिएको मिति | पेशकी लिने उपभोक्ता समितिको नाम तथा व्यक्तिको नाम | म्याद ननाखेको रु- | ११/९/२०७५ | कैनोडा सिचाइ कुलो निर्माण २ | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पेशकी लिएको मिति | पेशकी लिने उपभोक्ता समितिको नाम तथा व्यक्तिको नाम | म्याद ननाखेको रु- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११/९/२०७५ | कैनोडा सिचाइ कुलो निर्माण २ | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा

रकम

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|--|
| | | | |
| ११/१०/२०७५ | खरकडे खा पा यो ३ | १३०००० | |
| ११/१३/२०७५ | ५ न वडा कार्यालय भवन निर्माण | १४९६८५५ | |
| ११/१५/२०७५ | पक्की सिचाइ कुलो निर्माण वण्डोली १ | ३००००० | |
| १/८/२०७६ | रतोडा मन्दिर अधूनिक शोचालय निर्माण ३ | १००००० | |
| १/१६/२०७६ | गोरे घर निर्माण २ | ६५००० | |
| १/२८/२०७६ | जमनकटे खा पा यो ५ | ३०००० | |
| १/२८/२०७६ | सामूदायिक भवन निर्माण अडिगाउ ४ | १३०००० | |
| २/२९/२०७६ | दुगादित जोडी | १९०००० | |
| ३/२/२०७६ | ग्रामिण विधुतीकरण विस्तार ४ | ५००००० | |
| ३/३/२०७६ | ग्रामिण विधुतीकरण विस्तार ६ | ५००००० | |
| ३/३/२०७६ | ग्रामिण विधुतीकरण विस्तार १ | ५००००० | |
| ३/४/२०७६ | ग्रामिण विधुतीकरण विस्तार २ | ५००००० | |
| ३/११/२०७६ | ग्रामिण विधुतीकरण विस्तार ५ | ५००००० | |
| ३/१६/२०७६ | ग्रामिण विधुतीकरण विस्तार ३ | ५००००० | |
| ३/५/२०७६ | टक्का अडिगाउ खरकडा सडक निर्माण ४ | २३००००० | |
| ३/८/२०७६ | खेताली वडियुर सडक निर्माण १ | १८००००० | |
| ३/९/२०७६ | शेरा रतोडा लाली सडक निर्माण ३ | २३००००० | |
| ३/९/२०७६ | गिर्थली लेकम गा पा सडक निर्माण २ | ११५०००० | |
| ३/२२/२०७६ | देथली पिर्तोली गणेत सडक निर्माण ५ | २३००००० | |
| | | १५३९१८५५ | |

पेशकी फछ्यौट विवरण

| सि.नं. | पेशकी लिनेको नाम | जम्मा पेशकी |
|--------|---|-------------|
| १ | लटीनाथ मा वि मानविसा | १२००००१०० |
| २ | आमावायूविहिन बालबालिका पोषाकखरिदवडा ३ | ५००००१०० |
| ३ | मेसिनरी औजार वडा कार्यालय ३ | १०००००१०० |
| ४ | कार्यालय सामाग्री व्यवस्थापन लाली | १७०४४०१०० |
| ५ | वडा कार्यालय व्यवस्थान ४ | १२७०००१०० |
| ६ | वडा कार्यालय भवन १ | ३०००००१०० |
| ७ | वडा कार्यालय भवन २ | ६०००००१०० |
| ८ | वडा कार्यालय भवन ५ | ८०००००१०० |
| ९ | वडा कार्यालय भवन ६ | ८०००००१०० |
| १० | वडा कार्यालय व्यवस्थान २ | १३८०००१०० |
| ११ | पहिरो नियन्त्रण पैतोली | ३००००१०० |
| १२ | सामूदायिक भवन निर्माण मैखोली | १०००००१०० |
| १३ | शैक्षिक सामाग्री तथा पोषाक वितरण | २०००००१०० |
| १४ | गोक्लेश्वर लाली सडक ट्राक | ११००००१०० |
| १५ | बुहत लाली खानेपानी | २५००००१०० |
| १६ | सि प्र चौकी जाली भरान | ५००००१०० |
| १७ | ४ न वडा कार्यालय तारवार | १५००००१०० |
| १८ | साजीगाड झोपु कटान नियन्त्रण | २००००१०० |
| १९ | मैखोली अम्कर मूल बाट लटीनाथ हुदै खा पा योजना | २४००००१०० |
| २० | एडीबाग मा वि भवन निर्माण | १०००००१०० |
| २१ | गडानी पहिरो देखि पनाली खेत जालीभरान | १०००००१०० |
| २२ | उचाकोट सल्लाडी देखि उचाकोट वडा कार्यालय खा पा योजना | २५००००१०० |
| २४ | बाल विवाह जनचेतना | ३००००१०० |
| २५ | स्वाय्य | ७९६००१०० |
| २६ | कृषी | ९०८५००१०० |
| २७ | पशु | २५२०००१०० |
| २८ | भैरवनाथ मा वि श्रीपुर तारवार | १०००००१०० |

| | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | रकम |
|-----|--|---|--|-------------------------------|-----------------|
| २९. | मालिकार्जुन मन्दिर अधिति गृह निर्माण | | | ३५००००१०० | |
| ३०. | सामुदायिक भवन निर्माण ठुलखाली | | | २०००००१०० | |
| ३१. | महिला सिलाई क्टाई तालिम ३ | | | १०००००१०० | |
| ३२. | पोपाण सम्बन्धि ३ | | | ४००००१०० | |
| ३३. | सार्वजनिक सूनवाई | | | २०००००१०० | |
| ३४. | ईएफआइ नेपाल | | | ३०००००१०० | |
| ३५. | राम सिंह कूवर | | | २२५०००१०० | |
| ३६. | कृष्ण प्रसाद बडू | | | २५०००१०० | |
| ३७. | सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज | | | ७७००००१०० | |
| ३८. | हल्दे मैखोली खा.पा.स.या. | | | २२४०००१०० | |
| ३९. | हल्दे मैखोली खा.पा.स.या. | | | १६५७०००१०० | |
| | कल जम्मा | | | ११८९२९४०।० | |
| ४१. | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा निम्नानुसार देखिएको छ : | गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C=A-B) | |
| | | ३०४१४७७५/- | १९८०७००७.१४ | १०६०७७७.८६ | |
| ४२. | अद्यावधिक बेरुजु स्थिति : लेकमपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजु स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ : | गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) (C) | यो वर्षको सं.प.बाट कायम बेरुजु रु. (D) | यो वर्षको कायम बेरुजु रु. (E) | बाँकी (F=C+D+E) |
| | | १०६०७७७.८६ | ० | २५३१८९९.५८ | ३५९२६७५९.४४ |
| | उल्लेखित ऐन बमोजिम फछ्यौट गर्न बाँकी सम्पूर्ण असल फछ्यौट गरिनपर्दछ । | | | | |

लेकम गाउँपालिका

अनुसूची १

बेरुजु वर्गीकरण

२०७५।७६

(रु.हजारमा)

| प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | बाँकी बेरुजू | | | | | | पेशकी | | | |
|-------------------|------|-------|-----------------------|------|------|--------------|------|-------|--------------------|---|--------------------|----------------|-------|-------------|------------------|------|-------|-------|
| दफा संख्या | | | दफा संख्या | | | दफा संख्या | | | नियमित गनुपने | | | | पेशकी | | | | | |
| सैद्धान्तिक | लगती | रकम | सैद्धान्तिक | लगती | रकम | सैद्धान्तिक | लगती | रकम | असूल गनु पने | अनियमित भएको प्रमाण कारणात पश नभएको | जिम्मेवारी नसारेको | सोधभनां नलिएको | जम्मा | मोबिलाइजेशन | कम्पनी वारारी | अन्य | जम्मा | |
| ३९ | १५ | ३११५६ | | १ | ५८३७ | ३९ | १४ | २५३१९ | २००३ | २३३४ | ५५९० | - | - | ७९२४ | - | - | १५३९२ | १५३९२ |

लेकम गाँउपालिका

अनुसूची-२

सञ्चित कोष विवरण

२०७५।७६

(रु.हजारमा)

| आय | | | | जम्मा आय | व्यय | | | | मौज्दात |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|
| गत वर्षको जिम्मेवारी | समानीकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ (२+३+४) | ६ | ७ | ८ | ९ (६+७+८) | १० (१+५-९) |
| ४९८९१ | १०९५१३ | २३९२४१ | ८५४ | ३४९६०८ | २१६३४९ | ९९३९३ | ०.०० | ३०७७४२ | ९०९७५७ |

लेकम गाउँपालिका

अनुसूची-३

अध्याबधिक वेरुजु स्थिति

| क्र. सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाकी | यो वर्षको फछ्यौट | बाकी | यो वर्ष सं.प.वाट कायम भएको वेरुजु | यो वर्षको वेरुजु | कल बाकी वेरुजु |
|----------|-----------------|----------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| | लेकम गाउँपालिका | दार्चुला | ३०४१४७७५/- | १९८०७००७.१४ | १०६०७७६७.८६ | ०.०० | २५३१८९९.५८ | ३५९२६७५९.४४ |